भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4070
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

एक जिला एक उत्पाद का कार्यान्वयन

4070. श्री सचिदानन्दम आर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिंडीगुल जिले में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कृषि उपज जैसे आम, टमाटर, पहाड़ी केले, जो जल्दी खराब होने वाली तथा अत्यधिक लाभकारी हैं, के पोषण के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की सहायता प्रदान करके क्रियान्वित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित- "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक चालू है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत भावी उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

यह योजना मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ओडीओपी की पहचान राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की खराब होने की क्षमता आदि के आधार पर की जाती है।

डिंडीगुल जिले के लिए पशु आहार को ओडीओपी के रूप में मंजूरी दी गई है । केले आधारित उत्पादों को तीन जिलों थेनी, तिरुनेलवेली, त्रिची के लिए ओडीओपी के रूप में मंजूरी दी गई है और आम आधारित उत्पादों को कृष्णागिरी जिले के लिए ओडीओपी के रूप में मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु राज्य में टमाटर को ओडीओपी के रूप किसी भी जिले में मान्यता नहीं दी गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.12.2024 को "एक जिला एक उत्पाद योजना के कार्यान्वयन" के संबंध में उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4070 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिकपूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर उपयोग हेतु अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****